राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी आबकारी–448/2015/अजमेर

संतोष आचार्य पुत्र कुन्दनमल आचार्य,
ग्राम जेठाना पं0सं0 पीसांगन।
हाल–सन्तोष स्वीटस आदर्श नगर, बस स्टेण्ड, अजमेर। .....प्रार्थी.

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये आबकारी आयुक्त, उदयपुर। .....अप्रार्थी.

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.सी.सोगानी, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री आर.के.अजमेरा, उप–राजकीय अभिभाषक .....राजस्व की ओर से.

निर्णय दिनांक : 18/04/2017
18/04/2017

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा आबकारी आयुक्त, राजस्थान उदयपुर के अपील संख्या 35/2014 में पारित किये गये निर्णय दिनांक 20.02.2015 के विरूद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (जिसे आगे **'आबकारी अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 9(अ) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। आबकारी आयुक्त द्वारा उक्त आदेश से प्रार्थी को जिला आबकारी अधिकारी, अजमेर (जिसे आगे **'आबकारी अधिकारी'** कहा गया है) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.06.2014 को यथावत स्वीकार किये जाने के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी को देशी मदिरा दुकान तबीजी समूह संख्या 283 वर्ष 2009–10 के लिए प्रार्थी के नाम स्वीकृत हुई थी। उक्त आवंटित दुकान का तात्कालिक आबकारी निरीक्षक, नसीराबाद द्वारा शहरी सीमा से 5.03 किमी दूर दर्शाते हुए कम्पोजिट फीस रूपये 25,000/– जमा करते हुए नियमानुसार कम्पोजिट स्वीकृत करने हेतु, मौका नक्शा अपनी अनुशंषा के साथ अपने पत्रांक 726 दिनांक 26.03.2009 द्वारा आबकारी अधिकारी को प्रेषित किया। प्रस्तुत अनुशंषा के आधार पर प्रार्थी को वर्ष 2009–10 के लिये कम्पोजिट का लाभ दिया गया। तत्पश्चात वर्ष 2010–11 के लिये प्रार्थी को नियमानुसार अनुज्ञापत्र नवीनीकरण आबकारी अधिकारी ने अपने पत्रांक 1647 दिनांक 15.02.2010 द्वारा लाईसेन्स फीस 68,520/–, नवीनीकरण राशि रूपये 10,964/– तथा कम्पोजिट फीस राशि रूपये 65,520/– प्राप्त करते हुए स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 23.04.2010 को पदस्थापित आबकारी निरीक्षक ने जांच पर पाया कि उक्त दुकान अजमेर नगर निगम सीमा से 2 किमी की दूरी पर संचालित है एवं पूर्व पदस्थापित आबकारी निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 26.03.2009 को गलत बतलाते हुए अपने प्रस्ताव आबकारी अधिकारी को भिजवाये, आबकारी अधिकारी ने प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर उक्त दुकान को नगर निगम सीमा से 2 किमी की दूरी पर स्थित मानते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकारते हुए अन्तर राशि रूपये 12,29,480/– वसूलने के आदेश जारी किये, जिससे व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा एसबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 9324/2011 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिसका निस्तारण करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 07.04.2014 द्वारा तीस दिवसों में प्रार्थी को अपना पक्ष आबकारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के

लगातार.....2

निर्देश दिये। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में प्रार्थी ने दिनांक 20.05.2014 को आबकारी अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखा, जिसको अस्वीकारते हुए आबकारी अधिकारी ने अपना आदेश दिनांक 10.06.2014 जारी किया तथा आरोपित राशि रूपये 12,29,480/– में से धरोहर राशि रूपये 5,75,290/– वसूलते हुए शेष राशि रूपये 6,54,190/– एवं ब्याज अधिनियम की धारा 30(क) वसूलने के आदेश दिनांक 10.06.2014 को जारी किया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा एक सिविल रिट पिटीशन संख्या 7179/2014 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के समक्ष पेश की गई, जिसका निस्तारण करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 30.09.2014 द्वारा प्रार्थी को अधिनियम की धारा 9ए के तहत आबकारी आयुक्त के समक्ष नियमानुसार अपील प्रस्तुत करने के निर्देश दिये, जिसकी पालना में प्रार्थी द्वारा अपील आबकारी आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसका निस्तारण करते हुए आबकारी आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 20.02.2015 द्वारा प्रार्थी की अपील अस्वीकार की। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी अधिनियम की धारा 9(अ) के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

4. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

5. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि प्रार्थी को देशी मदिरा दुकान तबीजी समूह संख्या 283 वर्ष 2009–10 के लिए तात्कालिक आबकारी निरीक्षक द्वारा शहरी सीमा से 5.03 किमी दूर दर्शाते हुए कम्पोजिट फीस रूपये 25,000/– जमा करते हुए कम्पोजिट स्वीकृति हेतु मौका नक्शा अपनी अनुशंषा के साथ दिनांक 26.03.2009 को आबकारी अधिकारी को प्रेषित किया गया। प्राप्त अनुशंषा को उचित मानते हुए प्रार्थी को वर्ष 2009–10 के लिये कम्पोजिट का लाभ दिया गया। तत्पश्चात वर्ष 2010–11 के लिये प्रार्थी को नियमानुसार अनुज्ञापत्र नवीनीकरण आबकारी अधिकारी ने दिनांक 15.02.2010 द्वारा कम्पोजिट फीस राशि रूपये 65,520/– प्राप्त करते हुए स्वीकृत किया। तत्पश्चात बिना किसी आधार के दिनांक 23.04.2010 को पदस्थापित आबकारी निरीक्षक ने अंकित किया कि उक्त दुकान अजमेर नगर निगम सीमा से 2 किमी की दूरी पर संचालित है एवं पूर्व पदस्थापित आबकारी निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 26.03.2009 को मिथ्या बतलाते हुए अपने प्रस्ताव आबकारी अधिकारी को भिजवाये, आबकारी अधिकारी ने प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर बिना अपने मस्तिष्क का उपयोग करते हुए उक्त दुकान को नगर निगम सीमा से 2 किमी की दूरी पर स्थित मानते हुए, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार किया एवं अन्तर राशि रूपये 12,29,480/– में से धरोहर राशि रूपये 5,75,290/– वसूलते हुए शेष राशि रूपये 6,54,190/– एवं ब्याज अधिनियम की धारा 30(क) वसूलने के आदेश दिनांक 10.06.2014 को जारी किये। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा अपील आबकारी आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करने पर आबकारी आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 20.02.2015 द्वारा प्रार्थी की अपील बिना किसी आधार के अस्वीकार की।

अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा कम्पोजिट स्कीम के तहत ही आवेदन किया था एवं आबकारी निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 26.03.2009 के बिन्दु संख्या 12 में स्पष्ट उल्लेखित किया है कि :– **"प्रस्तावित दुकान का स्थल शहरी सीमा से 5.03 किमी की दूरी पर स्थित है इसलिये कम्पोजिट दुकान के लिये राशि रूपये**

लगातार.....3

25,000/– देय है जो चालान दिनांक 26.03.2009 बैंक एसबीबीजे द्वारा राजकोष में जमा का संलग्न है।" उक्त रिपोर्ट के आधार पर ही प्रार्थी को कम्पोजिट का लाभ प्रदान किया गया है, जिसमें प्रार्थी का कोई दोष सिद्ध होना नहीं पाया जाता है। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने निवेदन किया कि द्वितीय मौका निरक्षण रिपोर्ट दिनांक 03.06.2010 में यह अंकित किया गया है कि उक्त रिपोर्ट प्रार्थी की उपस्थिति में की गई है, जबकि उनकी रिपोर्ट पर प्रार्थी के हस्ताक्षर मौजूद नहीं है एवं द्वितीय रिपोर्ट पूर्णतया मिथ्या एवं आधारहीन है एवं केवल मात्र राजस्व प्राप्ति एवं प्रार्थी को परेशान करने के लिये उक्त रिपोर्ट को आधार बनाते हुए आदेश पारित किये गये है।

साथ ही उन्होंने निवेदन किया कि आबकारी अधिकारी ने प्रार्थी की वित्तीय वर्ष 2009–10 की वसूली के आदेश भी दिये है, जबकि उक्त आदेश वित्तीय वर्ष 2009–10 पूर्ण हो जाने के पश्चात जारी किये गये है, अतः नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के अंतर्गत आबकारी अधिकारी का आदेश स्वतः ही निरस्तनीय योग्य है। आबकारी अधिकारी के आदेश से भयभीत होकर प्रार्थी द्वारा एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसको कम्पोजिट स्कीम के तहत 5 किमी दूर दुकान का आवंटन किया जावें, जिसको स्वीकारते हुए विभाग ने 5000/– रूपये ट्रांसफर फीस वसूलते हुए प्रार्थी की दुकान दिनांक 21.06.2010 को अन्य स्थान पर स्थानान्तरित कर दी। विद्वान अधिवक्ता ने आबकारी अधिकारी एवं आबकारी आयुक्त के आदेशों को अविधिक बतलाते हुए उनको निरस्त करते हुए, उनके द्वारा राजकोष में जमा कराई गई राशि रूपये 9,25,290/– पुनः लौटाने का निवेदन किया। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने कर बोर्ड द्वारा पारित निर्णय अपील आबकारी संख्या 1652/2012 /सवाईमाधोपुर मैसर्स टाईगर डेन रिसोर्ट बनाम आबकारी अधिकारी निर्णय दिनांक 07.04.2014 प्रस्तुत किया।

7. प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने आबकारी आयुक्त के आदेश दिनांक 20.02.2015 का समर्थन करते हुए प्रार्थी की प्रस्तुत निगरानी को खारिज करने का निवेदन किया।

8. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी को देशी मदिरा दुकान वर्ष 2009–10 के लिए तात्कालिक आबकारी निरीक्षक द्वारा शहरी सीमा से 5.03 किमी दूर दर्शाते हुए कम्पोजिट फीस रूपये 25,000/– जमा करते हुए कम्पोजिट स्वीकृति हेतु अपनी अनुशंषा के साथ आबकारी अधिकारी को प्रेषित की है। प्राप्त अनुशंषा को विधिक मानते हुए प्रार्थी को वर्ष 2009–10 के लिये कम्पोजिट का लाभ दिया गया। तत्पश्चात वर्ष 2010–11 के लिये प्रार्थी को नियमानुसार अनुज्ञापत्र नवीनीकरण आबकारी अधिकारी ने दिनांक 15.02.2010 द्वारा कम्पोजिट फीस राशि रूपये 65,520/– प्राप्त करते हुए स्वीकृत किया। तत्पश्चात दिनांक 23.04.2010 को पदस्थापित आबकारी निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि उक्त दुकान अजमेर नगर निगम सीमा से 2 किमी की दूरी पर संचालित है एवं पूर्व पदस्थापित आबकारी निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 26.03.2009 को मिथ्या बतलाते हुए अपने प्रस्ताव आबकारी अधिकारी को भिजवाये, आबकारी अधिकारी ने प्राप्त रिपोर्ट को बिना किसी आधार के उचित मानते हुए उक्त दुकान को नगर निगम सीमा से 2 किमी की दूरी पर स्थित आंकते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार किया एवं अन्तर राशि रूपये 12,29,480/– में से धरोहर राशि रूपये 5,75,290/– वसूलते हुए शेष राशि रूपये

लगातार.....4

दूरी पर संचालित है एवं पूर्व पदस्थापित आबकारी निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 26.03.2009 को मिथ्या बतलाते हुए अपने प्रस्ताव आबकारी अधिकारी को भिजवाये, आबकारी अधिकारी ने प्राप्त रिपोर्ट को बिना किसी आधार के उचित मानते हुए उक्त दुकान को नगर निगम सीमा से 2 किमी की दूरी पर स्थित आंकते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन अस्वीकार किया एवं अन्तर राशि रूपये 12,29,480/– में से धरोहर राशि रूपये 5,75,290/– वसूलते हुए शेष राशि रूपये 6,54,190/– एवं ब्याज अधिनियम की धारा 30(क) वसूलने के आदेश दिनांक 10.06.2014 को जारी किये। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा अपील आबकारी आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करने पर आबकारी आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 20.02.2015 द्वारा प्रार्थी की अपील अस्वीकार की है।

प्रार्थी द्वारा आबकारी अधिनियम के तहत नियमानुसार कम्पोजिट स्कीम के तहत ही आवेदन किया था एवं आबकारी निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 26.03.2009 के बिन्दु संख्या 12 में स्पष्ट उल्लेखित किया है कि :– **"प्रस्तावित दुकान का स्थल शहरी सीमा से 5.03 किमी की दूरी पर स्थित है इसलिये कम्पोजिट दुकान के लिये राशि रूपये 25,000/– देय है, जो चालान दिनांक 26.03.2009 बैंक एसबीबीजे द्वारा राजकोष में जमा का संलग्न है।"** उक्त रिपोर्ट के आधार पर ही प्रार्थी को वर्ष 2009–10 के लिये कम्पोजिट का लाभ प्रदान किया गया, जोकि प्रार्थी द्वारा उपभोग किया गया। तत्पश्चात वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिये प्रार्थी द्वारा नवीनीकरण का आवेदन किया गया, जिसको आबकारी अधिकारी ने पूर्व में स्वीकृत कम्पोजिट के आधार पर ही वर्ष 2010–11 के लिये भी कम्पोजिट का लाभ प्रदान किया। ऐसी स्थिति में आबकारी निरीक्षक के स्थानान्तरित हो जाने पर नवीन रिपोर्ट के आधार पर पूर्व वित्तीय वर्ष 2009–10 की रिपोर्ट को मिथ्या मानना एवं भूतलक्षी प्रभाव से राशियों का आरोपण किया जाना अविधिक प्रतीत होता है। पूर्व में दिनांक 26.03.2009 को पदस्थापित आबकारी निरीक्षक द्वारा यदि गलती की गई है तो उसकी सजा प्रार्थी को दिया जाना अनुचित एवं अविधिक प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों तथा गुणावगुणों को मध्यनजर रखते हुए आबकारी अधिकारी एवं आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश अनुचित एवं अविधिक होने के कारण निरस्तनीय योग्य पाये जाते है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकारते हुए आबकारी आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.02.2015 अपास्त किया जाता है एवं उन्हें निर्देश दिये जाते है कि वे मांग राशि रूपये 12,29,480/– के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा जमा करवाई गई राशि रूपये 9,25,290/– मय धरोहर राशि प्रार्थी को विधियुक्त प्रक्रियाधीन आदेश प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर लौटावें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हों।

निर्णय सुनाया गया।

8.5.2017

(मदन लाल)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष